न्यायालय जिला पंजीयक एवं जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 32/2020 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 24.12.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00409

1–श्री गोपाल पिता श्री भैरूलाल जाजू जाति महाजन आयु 47 वर्ष निवासी 12–13 महेश नगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–श्री सत्यवीर सिंह पिता श्री महेन्द्र सिंह भाटी जाति राजपूत आयु 35 वर्ष निवासी डगला का खेड़ा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम –अपीलार्थीगण

1–उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा–72 रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 विरूद्ध आदेश उप पंजीयक चित्तौड़गढ़ आदेश दिनांक 11.12.2020

उपस्थिति : 1– श्री अभिषेक गर्ग, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2–श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 19.01.2021

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 1 ने स्वयं की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की मौजा चित्तौड़गढ़ पटवार हल्का चित्तौड़गढ़ में स्थित कृषि भूमि वर्तमान आराजी संख्या 294मी रकबा 0.1850 हैक्टेयर, 308मी रकबा 0.0650 है. व आराजी संख्या 299/1 रकबा 0.05 है. किता 03 कुल रकबा 0.30 है. में निहित स्वयं के

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

2/3 हक व हिस्से को जरिए विक्रय विलेख से अपीलांट संख्या 2 को विक्रय करना तय कर दिनांक 02.12.2020 को विक्रय पत्र निष्पादित कर उसी दिन पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर दिया जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना अपीलार्थीगण को सुने दिनांक 11.12.2020 को विक्रय विलेख को पंजीयन करने से इन्कार करने का आदेश पारित कर लौटाने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ब्ट संख्या 1 द्वारा बुक संख्या 02 के प्रकरण संख्या 07/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2020 को निरस्त कर विक्रय विलेख दिनांक 01.12.2020 को पंजीयन करने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सूचना-पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर जवाब प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने से बहस प्रकरण उभय पक्षा सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी संख्या 1 ने अपने स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी संख्या 294मी रकबा 0.1850 हैक्टेयर, 308मी रकबा 0.0650 है. व आराजी संख्या 299/1 रकबा 0.05 है. किता 03 कुल रकबा 0.30 है. में स्वयं के निहित 2/3 हिस्से को जरिए विक्रय विलेख से अपीलार्थी संख्या 2 को विक्रय करना तय कर दिनांक 02.12.2020 को विक्रय विलेख निष्पादित कर उसी दिन उक्त विक्रय विलेख को पंजीयन किए जाने हेतु प्रस्तुत कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना अपीलार्थीगण को सुने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एस. बी. सी. डब्ल्यू नम्बर 5022/11 स्टे पीटीशन संख्या 8774/11 व द्वितीय स्टे पीटीशन नम्बर 8937/13 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2013 से उक्त भूमि के हस्तान्तरण पर रोक होना दर्शाकर उक्त विक्रय विलेख को पंजीयन करने से इन्कार कर लौटाने का आदेश पारित कर दिया जो पूर्णतया विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त भूमि के संबंध में पीटीशनर हीरासिंह वगैरा ने नॉन पीटीशनर नवल सिंह वगैराह के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा डिक्री द्वितीय अपील संख्या 8670/2009 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2011 के विरूद्ध एक एस. बी. सिविल रीट पीटीशन संख्या 5022/2011 पेश कर रखी है उक्त रीट पीटीशन में पीटीशनर की ओर से प्रथम स्टे पीटीशन संख्या 8774/11 द्वितीय स्टे पीटीशन सख्या 8937/2013 पेश की गई जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने एक साथ सुनते हुए उक्त दोनों स्टे पीटीशन का निर्णय व आदेश दिनांक 28.10.2013 को पारित किया जिसके अनुसार उक्त रीट पीटीशन 5022/2011 के निस्तारण तक उक्त भूमि के संबंध में समस्त अन्तरण उक्त रीट पीटीशन के अंतिम निर्णय से बाध्य रहेंगे। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के हस्तान्तरण पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की रोक नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2020 निरस्त कर उक्त विक्रय विलेख का पंजीयन किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेन्ट्स की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस. बी. सिविल रीट संख्या 5022/11 विचाराधीन होकर इसमें आगामी सुनवाई दिनांक 23.02.2021 नियत है। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 02.12.2020 को विक्रय विलेख प्रस्तुत किया, विक्रय की जाने वाली भूमि विवादित होने से तथा अपीलार्थीगण द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने पर भी कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 11.12.2020 को पंजीयन से इन्कार करने का नोट अंकित कर विक्रय विलेख लौटाया गया जो पूर्णतया नियमानुसार है क्योंकि उक्त विक्रय होने वाली भूमि विवादित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई दिनांक 23.02.2021 नियत है। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में रीट विचाराधीन होते हस्तान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एस. बी. सिविल रीट नम्बर 5022/11, स्टे पीटीशन नम्बर 8774/11 और द्वितीय स्टे पीटीशन नम्बर 8937/13 में दिनांक 28.10.2013 से पारित निर्णय का प्रभावशील भाग निम्नानुसार है:-

"Till disposal of the writ petition, it is ordered that if any further transfer of the disputed land is made, the same shall be subject to the decision of this writ petition" जिसके अनुसार "इस रीट याचिका के अंतिम निस्तारण तक यह आदेश दिया जाता है कि यदि विवादित भूमि के संबंध में कोई हस्तान्तरण किया जाता है तो वह इस रीट याचिका के निर्णय के अधीन होगा।" अर्थात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 28.10.2013 से विवादित भूमि के हस्तान्तरण पर रोक नहीं लगाई गई है बल्कि विवादित भूमि के संबंध में होने वाले समस्त हस्तान्तरण उक्त निर्णय से बाध्यकारी होना बताया है।

प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में प्रश्नगत भूमि से संबंधित पीटीशनर श्री हीरासिंह पिता गुलाब सिंह निवासी रेल्वे कॉलोनी, चित्तौड़गढ़ ने उक्त विवादित आराजीयात का रूपान्तरण, खरीद-फरोख्त नहीं करने बाबत सर्व साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्र में आम सूचना का प्रकाशन भी कराया है। अतः इस संबंध में पीटीशनर को सुना जाना आवश्यक है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार की जाकर उप पंजीयक चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि के संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस. बी. सिविल रीट संख्या 5022/11 के पीटीशनरगण एवं अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा यदि पीटीशनरगण द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.2013 के अतिरिक्त अन्य कोई स्थगन संबंधी दस्तावेजात् प्रस्तुत करते हैं तो विक्रय विलेख का पंजीयन नहीं किया जावे तथा स्थगन संबंधी अन्य कोई दस्तावेजात् उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो विक्रय विलेख का पंजीयन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.2013 के अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(के. के. शर्मा)
19.1.2021
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official